Live हिन्दुस्तान .com

कैसा तेल कर रहे हैं इस्तेमाल? रेस्तरां और ढाबों को देनी होगी जानकारी, नहीं कर पाएंगे जले तेल का बार-बार उपयोग

स्कन्द विवेक धर,नई दिल्ली

अगले महीने से रोजाना 50 लीटर से अधिक तेल का खपत करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को इस बात का हिसाब देना होगा कि उनके यहां कितना इस्तेमाल किया हुआ तेल बचा रह गया और उस बचे हुए तेल को किसे बेचा गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(15) के तहत ये निर्देश जारी किए हैं।

उपयोग किए हुए तेल का पुन: इस्तेमाल और छोटे दुकानदारों को कम भाव पर बेचने की शिकायत मिलने के बाद एफएसएसएआई ने यह कदम उठाया है। एफएसएसएआई के निर्देश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्तेमाल किया हुआ खाद्य तेल दोबारा खाने के काम में न लिया जाए यह फैसला किया गया है कि 50 लीटर से ज्यादा रोजाना तेल खपत करने वाले सभी प्रतिष्ठान बचे हुए तेल को एफएसएसएआई या राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर की ओर से अधिकृत एजेंसियों को ही बचा हुआ तेल देंगे।

इसके अलावा इन प्रतिष्ठानों को रोजाना के आधार पर तेल के प्रकार, तलने के लिए ली गई तेल की मात्रा, दिन के अंत में बचा हुआ तेल, बचे हुए तेल के निपटारे का तरीका और बचा हुआ तेल खरीदने वाली एजेंसी की जानकारी एफएसएसएआई या राज्यों द्वारा नियुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नियुक्त प्राधिकारी को देना होगा। एफएसएसएआई पहले इन नियमनों को एक मार्च 2019 से लागू करना चाहता था। हालांकि, व्यापारियों की ओर से समय मांगने के चलते इसे एक जून से लागू किया जा रहा है। मालूम हो, हिन्दुस्तान ने छह मई को प्रकाशित अपनी खबर में खुलासा किया था कि कई बड़े रेस्टोरेंट चेन अपने यहां इस्तेमाल तेल को 20 से 25 रुपए लीटर के भाव पर छोटे दुकानदारों को बेचे हैं।

होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल के नमूने लेकर जांच को भेजे जाएंगे। जांच में नमूने फेल होने पर होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों के लाइसेंस कैंसिल कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि दो बार से अधिक जले तेल का इस्तेमाल करने वाले रेस्तरां पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। दोषी पाये जाने वाले रेस्तरां या होटल पर एफएसएसएआई दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। .